



उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)



Andaman Road, Garhi Cantt, Dehradun - 248003 Telfax : 0135-2754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : upnl.ua@rediffmail.com, info@upnl.co.in, rpo@upnl.co.in

7004/ई0एस0आई0/2022

03 सितम्बर 2022

उपनल कर्मचारियों के ई0एस0आई0 कार्ड बनवाने, चोटिल होने एवं मृत्यु होने के सम्बन्ध में

महोदय,

1. आपको अवगत कराया जाता है कि उपनल के जो भी कर्मचारी आपके विभाग में कार्यरत हैं एवं ई0एस0आई0 के सदस्य हैं तथा जिन्होंने अभी तक ई0एस0आई0 ई0-पहचान कार्ड नहीं बनवाया है जबकि उनका ई0एस0आई0 अंशदान नियमित रूप से जमा किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उन सभी कर्मचारियों को सूचित करें कि वह निम्नलिखित दस्तावेज उपनल कार्यालय में अतिशीघ्र जमा कराये, ताकि इनका ई0-पहचान कार्ड बनाया जा सकें :-

- (क) ई0एस0आई0 फार्म न0 - 1 (घोषणा पत्र) को पूर्ण रूप से भरकर।
- (ख) स्वयं एवं सभी आश्रितों के आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (ग) सम्बन्धित कर्मचारी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
- (घ) 2 x ग्रुप फोटो।
- (च) यदि कर्मचारी का पहले से ई0एस0आई0 नम्बर है तो वह इस फार्म में जरूर लिखें।

2. इसके अतिरिक्त नये कर्मिकों के ई0एस0आई0 फार्म भी नियुक्ति के 6 दिन के अन्दर उपनल कार्यालय में जमा करायें ताकि उनका रजिस्ट्रेशन नियमानुसार नियुक्ति के 10 दिन के अन्दर किया जा सकें। इस सम्बन्ध ई0एस0आई0 पोर्टल पर दिखाये जा रहे निर्देशों की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

3. आपको यह भी अवगत कराना है कि बहुत से कर्मचारी दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण चोटिल भी हो रहे हैं एवं दुर्भाग्यवश कुछ कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उनकी सूचना समय पर उपनल कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा रही है। ई0एस0आई0 के नियमानुसार कर्मचारी के ड्यूटी के दौरान चोटिल होने एवं मृत्यु होने पर इसकी सूचना 24 घंटे के अन्दर उपनल कार्यालय को प्रेषित करना अति आवश्यक है ताकि यह सूचना ई0एस0आई0 शाखा कार्यालय को अग्रसारित की जा सके एवं उसको ई0एस0आई0 का हितलाभ मिल सके। (Para 68 of The Employees' State Insurance Regulations 1950).

4. आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक कर्मचारी जो ई0एस0आई0 का सदस्य है उसको सूचित करें कि यदि वह अचानक बीमार होता है तो वह आपात स्थिति में किसी भी अस्पताल में भर्ती हो सकता है लेकिन उसको 24 घंटे के अन्दर अपने नजदीक के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय को सूचित करना होगा।

5. इस सम्बन्ध में पहले भी समय-समय पर अवगत कराया जा चुका है एवं अभी भी अवगत कराया जा रहा है कि जिन कर्मचारियों का ई0एस0आई0 ई0-पहचान पत्र न बनाने कारण से, कर्मचारी की मृत्यु एवं ड्यूटी के दौरान चोट ग्रस्त होने की सूचना समय पर न मिलने के कारण, यदि कोई कर्मचारी एवं उसके आश्रित ई0एस0आई0 हितलाभ से वंचित रह जाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी स्वयं कर्मचारी एवं मुख्य नियोक्ता विभाग की होगी।



भवदीय

मेजर हिमांशु शैतला (अ0प्रा0)
उप-महाप्रबन्धक (ई0एस0आई0 एवं अधिष्ठान)
कृते प्रबन्ध निदेशक

